

# न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

मि.न.155/2019

पीठासीन अधिकारी  
अनूप सिंह (आरटीएस)  
दिनांक-20.12.19

सरकार बनाम सौणाराम

## निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रामसिंह पुरा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम खेडकी वीरभान तहसील कोटपूतली के ख0 न098/2.0है0 किस्म गै0मु0 रास्ता भूमि मेंसे 0.0050 है0 पर सौणाराम पुत्र ओमकार जाति जाट निवासी खेडकी वीरभान ने गैहूँ कास्त कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित नहीं आये तथा ना ही जबाब पेश किया अतः गैर सायल के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भू- अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच के उपरान्त पेश की गई है ।

अतः गैरसायल सौणाराम पुत्र ओमकार जाति जाट निवासी खेडकी वीरभान ने वाके ग्राम खेडकी वीरभान के खसरा नंबर 98/2.0है0 किस्म जमीन गै0मु0 रास्ता की भूमि मेंसे 0.0050है0 भूमि पर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण सिद्ध होता है अतः अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी

अतः गैरसायल सौणाराम पुत्र ओमकार जाति जाट निवासी खेडकी वीरभान तहसील

तहसीलदार  
कोटपूतली (जयपुर)

कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम खेडकी वीरभान तहसील कोटपूतली के ख0 न0 98/2.0 है,किस्म गै0मु0 रास्ता मे से 0.0050है0 भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा गैर सायलान को उक्त आराजीयात पर बोई फसल गैहू को निलाम किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी0.02रु. का पचास गुणा1रु अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू- अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते निलामी ,बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 20.12.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार  
कोटपूतली (जय)

दिनांक 20/12/19 को सरे इजलास सुनाया गया ।  
पृष्ठ संख्या ..... पर.....  
सर्वेक्षण किये गये ।

राजस्व लेखाकार  
कोटपूतली

